न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 67/2023

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

........प्रार्थी

बनाम

मैसर्स फिरोज खान टी स्टॉल
कायड विश्राम स्थली, अजमेर
(श्री फिरोज खान हेवती)
निवासी उत्तरप्रदेश अजमेर

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक **17.07.2023**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.01.2023 को उर्स मेला के तहत घरेलू गेस सिलेण्डर के उर्स मेले के तहत अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जांच दल **मैसर्स** फिरोज खान टी **स्टॉल,** कायड विश्राम स्थली, अजमेर पर पहुँचे । दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नही किए ।

दुकान पर घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करने की पुष्टि हुई। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) की अवहेलना होने के कारण सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया । मौके पर घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर श्री रामनरेश पुत्र श्री जयालाल खटाणा कार्मिक मैसर्स एसकेहोम एप्लायंस एजेन्सी अजमेर को बुलवा कर कांटे से वनज करवाने पर सिलेण्डर को सुपुर्द किया जिसका विवरण निम्नुसार पाया गया ।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	02 छोटे अप्रमाणित बिना आईएसआई मार्का के सिलेण्डर					

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा एक घरेलू सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 24.01.2023 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये दो छोटे अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये दो छोटे अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी उक्त अप्रमाणित सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज़ दिनांक 17.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर